SHREE GANGA FINANCE VS AMIT KUMAR

किस्म मुकदमा : अन्तर्गत धारा 9 आर्बिट्रेशन एक्ट प्रकरण संख्या : 14794 / 2025

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-07-2026	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी को इस प्रकरण के नोटिस जरिये रजि. डाक दिनांक **03.11.2025** को प्रेषित किये गये थे। अप्रार्थी की तामील जारी किये एक महीने से अधिक का समय हो गया है। अप्रार्थी पर नोटिस की तामील पर्याप्त मानी जाती है। बार–बार आवाजें लगवाई गई। अप्रार्थी अथवा उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हैं। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी की ओर से प्रकरण में **ANIS AHMED को एकल पंच नियुक्त कर** मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है इस बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो शामिल पत्रावली है, अतः और कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी की ओर से धारा 9 माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत् यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिनांक **30.07.2025** को इस न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से रिसीवर नियुक्ति करते हुए अप्रार्थी को तलब करने के आदेश पारित किए गए थे। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ किया जाना व्यक्त किया गया है, अतः इस प्रकरण में दिनांक **30.07.2025** को पारित आदेश सम्पुष्ट किया जाता है। रिसीवर द्वारा लिया गया कब्जा पारित अवार्ड के अध्यधीन रहेगा एवं इस संबंध में भविष्य में अप्रार्थी को किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर वह अपनी आपत्ति पंच महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने को स्वतन्त्र रहेगा। प्रकरण में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है, अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। DEEPAK KUMAR MEENA Authenticated Document "Clerk Grade-II" Digitally signed by DEEPAK KUMAR MEENA Date: 2026.07.21 13:19:44 +0530 10-07-2026	